Smt. Rampyari Devi Mahila Mahavidyalaya

Nayabas,Teh. Neem Ka Thana,Dist. Sikar (Raj.) 332713
Mob. 9785400559,9785400330

S.No. Date............................

श्रीमती रामप्यारी देवी महिला महाविद्यालय की आधारभूत संरचना निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	पट्टा संख्या	वर्गमीटर	वर्गगज
01	616	1253.35वर्गमीटर	1499.94 वर्गगज
02	668	1253.35वर्गमीटर	1499.94 वर्गगज
03	959	1254.19वर्गमीटर	1500.00 वर्गगज
04	1823	2500.00 वर्गमीटर	2889.00 वर्गगज
कुल		**6263वर्गमीटर**	**7486.89 वर्गगज**

क्र.सं.	फ्लोर	निमार्ण एरिया (वर्ग मीटर)	निमार्ण एरिया (वर्ग फीट)
01	ग्राउण्ड फ्लोर	1012.35 वर्गमीटर	10892.97 वर्गफीट
02	फस्ट फ्लोर	1012.35 वर्गमीटर	10892.97 वर्गफीट
03	सैकेण्ड फ्लोर	1012.35 वर्गमीटर	10892.97 वर्गफीट
कुल		**3037.05 वर्गमीटर**	**32678.91 वर्गफीट**

संलग्न :–

1. उपरोक्त सभी पट्टो की प्रतिलिपी।
2. संस्था के उपलब्ध मानचित्र की प्रतिलिपी।

Principal
Smt. Rampyari Devi Mahila Mahavidyalaya
Nayabas (Neemkathana) Raj.

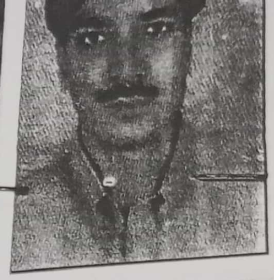

NON-JUDICIAL NON-JUDICIAL NON-JUDICIAL

SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE

SUB REGISTRAR OFFICE NEEMKATHANA

::श्री::

पट्टा पंजीयन

टिकिट 5000 x 9 = 45,000/–

1000 x 3 = 3,000/–

कुल = 48,000/–

दिनांक 10.09.2009 को आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 616 सन् 2009 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 6.6.2012 को किया गया है। उक्त पट्टा बहक सचिव कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर जरिये विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.मीणा जाति मीणा निवासी एम.80 महेश कॉलोनी जे.पी. फाटक जयपुर (राज.) जिनको इसमें इसके पश्चात पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है। उक्त पट्टा नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर पैराफेरी क्षेत्र के आधार पर संस्थानिक प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत

लगातार 2

For Kalyaneshwar Mahadev Trust

Auth. Signatory

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना

2337
26-06-2012

$\frac{6000}{9}$ $\frac{1000}{3}$ = 48,000/-

SEAL OF THE SUB REGISTRAR ★ NEEM KA THANA ★ SUB REGISTRAR OFFICE

Bhawani
26-06-2012

आज दिनांक 28-6-12 को 3 बजे बाद ...... को उप पंजियक नीम का थाना के प्रमुख कार्यालय अथवा मकान ...... में श्री अधिशाषी अधिकारी जाति ...... व्यवसाय ...... निवासी नीमकाथाना के द्वारा यह दस्तावेज पंजियन हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — उप पंजीयक नीम का थाना

पजीयन शुल्क 9680 प्रतिलिपि शुल्क 300
इन्डोरसमेन्ट शुल्क 300 अन्य शुल्क 4840
कमी मुद्रांक 375 कुल योग 15495
रसीद संख्या 1082 दिनांक 28-6-12

2831

उप पंजीयक नीमकाथाना

श्री अधिशाषी अधिकारी
पुत्र श्री नगर पालिका नीमकाथाना
उम्र ...... जाति ...... व्यवसाय ......
निवासी ...... पद ...... ने पढ़कर
सुन व समझ कर लिखत को स्वीकार किया तथा
प्रतिफल की राशि ......
रु. ...... प्राप्त कर पूर्व में मेरे
समक्ष स्वीकार किया।

2832

:2::

पुनः आंवटित भूखण्डों के उपयोग के लिए जारी किया गया है। उक्त पट्टा ग्राम राणासर भूमि ख.नं. 283/2 (पैराफेरी क्षेत्र) नयाबास रोड़ तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। जिसमें दस वर्ष की अग्रिम ग्रामीण जमाबन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदत किया गया साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–5(2)नं. वि./3/99 दिनांक 15.11.1999 के अनुसार पैराफेरी क्षेत्र आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 1,19,995/– रूपयें की 2.5 प्रतिशत की दर से देयी है। आवेदक द्वारा एक मुश्त दस वर्षीय लीज राशि 29,995/– रूपयें जमा करवा दी गई है। कुल पंजीकृत मूल्य राशि 1,49,994/– रूपयें पर निष्पादित है। पट्टा संख्या 616 संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड का क्षेत्र 1499.94 वर्गगज है। अध्यक्ष नगरपालिका नीमकाथाना एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा दिनांक 10.09.2009 को वाद जांच

लगातार 3

For Kalyan... Trust

Auth. Signatory

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

कर नियमानुसार प्रार्थी के हक में जारी किया गया है, जो प्रभावी है। उक्त पट्टा का पंजियन कराना आवश्यक है। अतः नियमानुसार पट्टा पंजीयन फरमाया जावें।

तैयारकर्ता

दिनांकः– 26.06.2012 दिनेश कुमार गुप्ता

स्थानः– नीमकाथाना एडवोकेट

नीमकाथाना

हस्ताक्षर निष्पादक

हस्ताक्षर बहक

For Kalyaneshwar Mahadev Trust

Auth. Signatory

उप पंजीयक अधिकारी

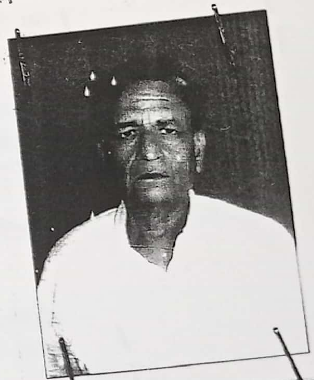

हस्ताक्षर गवाहान:–

1. एस.के. बंसल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर ... 65 साल जाति महाजन निवासी ए.453 वैशाली नगर जयपुर (राज.)

2. मदनलाल सैनी पुत्र श्री रामप्रताप सैनी उम्र 55 साल जाति माली निवासी वार्ड नं. 18, छावनी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

उप पंजीयक

नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

विशेष अभियान- 2009

नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

नगरपालिका, नीम का थाना (सीकर)

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजरव अधिनियम,1956 की धारा 90'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 10/9/2009 को, आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या 616 सन् 2009 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दुसरी ओर श्री/श्रीमती सचिव, कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर पुत्र/पत्नी — जाति .... व्यवसाय — निवासी नयाबास रोड न. नीमकाथाना (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक,प्रबन्धक,प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे)के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 1,19,995/- अक्षरे अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ पिच्यानवे मात्र रूपये — पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती हैं)और इसमें उल्लिखित शर्तो और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है)नियमन और पुनः आवंटित करती है जो ख.न. 283 (पैराफेरी) ~~गृह निर्माण सहकारी समिति की~~ .... ~~योजना~~ में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ असके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके सलंग्न नक्शे में दिखलाया गया है,और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों,संरक्षणों,प्रतिबन्धों, वैद्य शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग,उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात

1 उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि,99 वर्ष होगी।

2.(अ) पट्टेदार, नगरपालिका, नीम का थाना के कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर — रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से कुल राशि — रूपये की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने पर 10% की छुट भी देय होगी।

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2)न.वि./3/99दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 1,19,995 रूपये की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। आवेदक द्वारा एकमुश्त 10 वर्षीय लीजराशि- 29,999/-रु० जमा करा दी गयी है।

3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।

4. उपरोक्त तारिख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो,अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरिके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है,वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3)न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

6 यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैंक साइट प्लान के अनुसार छोडने होंगें तथा प्राधिकरण के बिल्डिग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR OFFICE NEEMKATHANA

7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा।

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगरपालिका नीम का थाना के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो इस कार्य नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तो एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तो की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्तो का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि 1,12,995/- व एक मुश्त लीज राशि 29999/- रू. प्रति वर्गगज की पंजीकृत मूल्य राशि रू. 1,49,994/- होती हैं। अतएव स्टाम्प नं. .... संख्या. .... बहैसियत पट्टा दसके साथ लगाये जाते हैं।

कस्बे का नाम नगरपालिका नीमकाथाना विस्तृत नाप क्षेत्रफल सहित	पूर्व........पश्चिम........भूखण्डसंख्या........सीमा उत्तर........दक्षिण........योजनाकानाम........ समिति का नाम........	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	स्थल मानचित्र संलग्न है

आवासीय उपयोगार्थ भूखण्ड का क्षेत्र =1499.94 व.गा.

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों जे इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है !

सरकार की ओर से

आज सन् 2009 सितम्बर के 10 वें दिन

श्री मति सुमित्रा मेघोतिया अध्यक्ष सक्षम अधिकारी,नगरपालिका नीमकाथाना श्री शिवपालसिंह E.O. नगरपालिका नीमकाथाना निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

अध्यक्ष
नगर पालिका, नीमकाथाना
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

साक्षी :-

1. नाम........श्री प्रहलादराय यादव
   पिता/पति का नाम........श्री गणेशरलाल
   व्यवसाय........नगरपालिका नीमकाथाना
   निवास स्थान........नीम का थाना

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम........बृजमोहन सैनी
   पिता/पति का नाम........श्री प्रभुदयाल सैनी
   व्यवसाय........सब - कांट्रैक्टर
   निवास स्थान........न० पा० नीमकाथाना

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक........10/9/2009........को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री........संदीप, कल्पना एवं मुकेश........खरीददार द्वारा कार्यालय, नगरपालिका नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम........S.K. BANSAL
   पिता/पति का नाम........RAMESHWAR DAS BANSAL
   व्यवसाय........Engineer
   निवास स्थान........A-453 VAISHALI NAGAR JAIPUR

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम........Praveen Monga
   पिता/पति का नाम........Dr. M.S. Monga
   व्यवसाय........Advocate
   निवास स्थान........Adarsh Colony N.K. KATHANA.

साक्षी के हस्ताक्षर

यह पट्टा आज दिनांक 06.06.2013 को दर्ज हुआ

प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

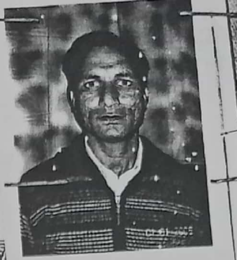

::श्री::

पट्टा पंजीयन

टिकिट 5000 x 9 = 45,000 / –

1000 x 3 = 3,000 / –

कुल = 48,000 / –

दिनांक 05.08.2010 को आवंटन / विक्रय पत्र संख्या 668 सन् 2010 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 6.6.2012 को किया गया है। उक्त पट्टा बहक सचिव कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर जरिये विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.मीणा जाति मीणा निवासी एम.80 महेश कॉलोनी जे.पी. फाटक जयपुर (राज.) जिनको इसमें इसके पश्चात पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है। उक्त पट्टा नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर पैराफेरी क्षेत्र के आधार पर संस्थानिक प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आंवटित भूखण्डों

लगातार 2

For Kalyaneshwar Mahadev Trust

Auth. Signatory

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

2336
26-06-2012

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना

5000/5 - 1000/3 = 48,000/-

Bhawani
26-6-2012

आज दिनांक 28-6-12 को 11 से 3 बजे
वार गुरुवार को उप पंजियक नीम का थाना
के समक्ष कार्यालय अथवा मकान में
श्री अधिशाषी अधिकारी
जाति ... व्यवसाय ... निवासी ...
के द्वारा यह दस्तावेज नगरपालिका नीमकाथाना
पंजियन हेतु प्रस्तुत किया गया। पदेन

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — उप पंजीयक नीम का थाना

पजीयन शुल्क 9680 प्रतिलिपि शुल्क 300
इन्डोरसमेन्ट शुल्क 300 अन्य शुल्क 4850
कमी मुद्रांक 365 कुल योग 15495
रसीद संख्या 18[illegible] 10183 दिनांक 28-6-12

उप पंजीयक नीमकाथाना

2631

श्री अधिशाषी अधिकारी
पुत्र श्री नगरपालिका नीमकाथाना
उम्र ... जाति ... व्यवसाय ...
निवासी ... पदेन
सुन व समझ कर ... स्वीकार किया तथा
प्रतिफल की राशि ...
रु० ... प्राप्त कर पूर्व में ले
... स्वीकार किया

उप पंजीयक नीमकाथाना

2631

प्रमाणित प्रतिलिपि

5000 भारत 5000 Rs. 5000 रुपये INDIA SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE THOUSAND

NON-JUDICIAL

के उपयोग के लिए जारी किया गया है। उक्त पट्टा ग्राम रणासर भूमि ख.नं. 283/2 (पैराफेरी क्षेत्र) नयाबास रोड़ तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। जिसमें दस वर्ष की अग्रिम ग्रामीण जमाबन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदत किया गया साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–5(2)नं. वि./3/99 दिनांक 15.11.1999 के अनुसार पैराफेरी क्षेत्र आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 1,20,000/– रूपयें की 2.5 प्रतिशत की दर से देयी है। आवेदक द्वारा एक मुश्त आठ वर्षीय लीज राशि 36,000/– रूपयें जमा करवा दी गई है। कुल पंजीकृत मूल्य राशि 1,56,000/– रूपयें पर निष्पादित है। पट्टा संख्या 668 संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड का क्षेत्र 1499.94 वर्गगज है। अध्यक्ष नगरपालिका नीमकाथाना एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा दिनांक 05.08.2010 को वाद जांच कर नियमानुसार

लगातार 2

THE SEAL OF SUB REGISTRAR OFFICE NEEMKATHANA

For Kalyaneshwar ... Trust

Auth. Signatory

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

2336
26-06-2012

5000/4 = 48,000/-

Bhawani

26-06-2012

उपरोक्त निष्पादन कर्ता ने कि (1) श्री ..... पुत्र ..... जाति ..... व्यवसाय ..... निवासी जयपुर तथा (2) श्री ..... पुत्र ..... उम्र ..... जाति ..... व्यवसाय ..... निवासी .....

ने ..... स्वीकार किए ..... जिन्हें ..... जानते हैं ।

अतः अंगूठा निशानी नियमानुसार लिये गये ।

उप पंजीयक प्रथम जयपुर

28-6-12

बाद निबंध पुस्तक सं. 1 जिल्द 323 के पृष्ठ सं. 124 क्रमांक 2208

पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 319 पृष्ठ सं. 328-330

पर चस्पा किया गया

उप पंजीयक प्रथम जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

5000 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE THOUSAND

1000 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES ONE THOUSAND

1000 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES ONE THOUSAND

1000 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES ONE THOUSAND

THE SUB REGISTRAR OFFICE NEEMKATHANA

प्रार्थी के हक में जारी किया गया है, जो प्रभावी है। उक्त पट्टा का पंजियन कराना आवश्यक है। अतः नियमानुसार पट्टा पंजीयन फरमाया जावें।

दिनांकः-- 26.06.2012 तैयारकर्ता

स्थानः— नीमकाथाना दिनेश कुमार गुप्ता

एडवोकेट

नीमकाथाना

हस्ताक्षर बहक हस्ताक्षर निष्पादक

For Kalyaneshwar Mahadev Trust

Auth. Signatory

प्राधिकारी अधिकारी

नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

हस्ताक्षर गवाहान:--

1. एस.के. बंसल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दास बंसल उम्र 65 साल जाति महाजन निवासी ए.453 वैशाली नगर जयपुर (राज.)

2. मदनलाल सैनी पुत्र श्री रामप्रताप सैनी उम्र 55 साल जाति माली निवासी वार्ड नं. 18, छावनी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

उप पंजीयक

नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

नगरपालिका, नीम का थाना (सीकर)

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 05/08/2010 को, आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या 668 सन् 2010 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दुसरी ओर श्री/श्रीमती सचिव कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर पुत्र/पत्नी .... जाति .... व्यवसाय .... निवासी नया बास रोड, नं. नीमकाथाना (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 120000/- अक्षरे अंकेही एक लाख बीस हजार रु. मात्र) रुपये .... पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तो और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो ख.न. 203 (रेसरकारी भूमि) ~~गृह निर्माण सहकारी समिति को~~ .... योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ उसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैद्य शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2.(अ) पट्टेदार, नगरपालिका, नीम का थाना के कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर .... रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से कुल राशि .... रूपये की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने पर 10% की छुट भी देय होगी।

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2)न.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 120000 रूपये की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। आवेदक द्वारा एकमुश्त 8 वर्ष की लीज राशि 36000/- रु. जमा करा दी गयी है।

3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।

4. उपरोक्त तारिख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरिके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3)न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

6. यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैंक साइट प्लान के अनुसार छोडने होंगें तथा प्राधिकरण के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

28

उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था एन.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा।

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगरपालिका नीम का थाना के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तो एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तो की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्तो का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि 1,20,000/- व एकमुश्त 8 वर्षीय लीज राशि - 36,000/- रू. प्रति वर्गगज की पंजीकृत मूल्य राशि रू. 1,56,000/- होती हैं। अतएव स्टाम्प नं. .... संख्या .... बहीसंख्या पट्टा दसके साथ लगाये जाते हैं।

कस्बे का नाम नगरपालिका नीमकाथाना विस्तृत नाप क्षेत्रफल सहित	पूर्व........ पश्चिम........ भूखण्डसंख्या........ सीमा उत्तर........ दक्षिण........ योजनाकानाम........ सम्गित का नाम........	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	स्थल मानचित्र सलंग्न है

संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड का क्षेत्र = 1499.94 वर्ग.

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

सरकार की ओर से

आज सन् 2010 अगस्त के 05 वें दिन .... श्री केशव देव अध्यक्ष सक्षम अधिकारी, नगरपालिका नीमकाथाना मनिषा यादव अधि.अधि. नगरपालिका नीमकाथाना निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षर) अध्यक्ष नगर पालिका, नीमकाथाना
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर) अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, नीमकाथाना

साक्षी :-

1. नाम........
पिता/पति का नाम........ श्री प्रहलादराय यादव श्री गणेशरलाल
व्यवसाय........ व० लि० न० पा० नीमकाथाना
निवास स्थान........ नीम का थाना

.... (हस्ताक्षर)
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम........ बृजमोहन सैनी
पिता/पति का नाम........ श्री प्रभुदयाल सैनी
व्यवसाय........ सब नाकेदार
निवास स्थान........ न० पा० नीमकाथाना

.... (हस्ताक्षर)
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 05/08/2010 को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री सचिव कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर खरीददार द्वारा कार्यालय, नगरपालिका नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

(हस्ताक्षर) खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम S.K. Bansal
पिता/पति का नाम R. D. BANSAL
व्यवसाय Engineer
निवास स्थान A-453 Vaishali Nagar Jaipur

.... (हस्ताक्षर)
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम सूरज यादव
पिता/पति का नाम शंकरलाल यादव
व्यवसाय ड्राइवर
निवास स्थान गोपाल नगर हल्दीघाटी, तं. उमरावगढ जयपुर

सूरज यादव
साक्षी के हस्ताक्षर

प्रमाणित प्रतिलिपि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND R

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

D 315130

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR OFFICE NEEMKATHANA

पट्टा पंजीयन

स्टाम्प

स्टाम्प 1000X1 = 1000/—

1000

आज दिनांक 28.02.2014 को पट्टा संख्या 959 सन 2014 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हे इसमें इसके पश्चात सरकार कहकर सम्बोधित किया गया है! उक्त पट्टा बहक कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर (राजस्थान) जरिये सचिव विशाल जेफ पुत्रश्री के.एल.मीणा जिनको इसमें इसके पश्चात पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है। उक्त पट्टा नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) पैराफेरी क्षेत्र के आधार पर संस्थानिक प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का

लगातार 2

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट

Vishal

सचिव

उप पंजीयक

नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक

नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

5614
20-03-2014

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर

B. S. AGAR
STAMP VEND
L. No. 34/
NEEM KA TH
20-03-2014

1000
12 1000/-

आज दिनांक 20/3/14 को 11 बजे 3 बजे
द्वारा गुरुवार को उप पंजीयक नीम का थाना
के समक्ष कार्यालय .... में
श्री कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर जरिये विशाल जैफ पुत्र के.एल मीना
जाति मीना निवासी M-80 महेश कॉलोनी
ज.पी. फाटक जयपुर
के द्वारा ....
पेश किया गया। 4382

उप पंजीयक नीम का थाना

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट
Vishal Gupta
सचिव

पंजीयन शुल्क 2070 प्रतिलिपि शुल्क 300
इन्डोरसमेन्ट शुल्क 300 अन्य शुल्क 100
कमी मुद्रांक —— कुल योग 2770
रसीद संख्या R-44 दिनांक 20/3/14
4382

उप पंजीयक नीमकाथाना

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर
जरिये विशाल जैफ
पुत्र श्री के. एल मीना
जाति मीना
निवासी M-80 महेश कॉलोनी ज.पी. फाटक जयपुर .... को पक्षकार
सून व .... किया तथा
प्रतिफल की राशि ....
रु० .... को प्राप्त कर पूर्ण में
......

उप पंजीयक नीमकाथाना

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट
Vishal Gupta
सचिव

सत्यापित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख भूखण्डो के उपयोग के लिए जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड राजस्व ग्राम पैराफेरी क्षेत्र (राणासर) तहसील नीमकाथाना के खसरा नम्बर 283/2/1 ग्राम राणासर में स्थित है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गगज का है। उक्त पट्टा प्रशासन शहरो के संग नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान योजना के अन्तर्गत उक्त बहक पट्टाधारी कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर के हक में जारी किया गया है। भूखण्ड की नाप व सिमाए संलग्न नक्शे में दर्ज है। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त भूखण्ड का पट्टा नगरपालिका नीमकाथाना के अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा वाद जांच कर नगरीय निर्धारण राशि व नजराना शुल्क नियमानुसार लिया जाकर पट्टाधारी के हक में जारी है। उक्त भूखण्ड का पट्टा पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। मूल पट्टे में जो शर्ते है पट्टाधारी बहक के द्वारा पालना की जायेगी। पट्टा पंजीयन हेतु प्रस्तुत है।

दिनांकः–20.03.2014

हस्ताक्षर पट्टाधारी

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट

सचिव

DINESH KUMAR GUPTA
Advocate
Neemkathana Distt. Sikar
तैयारकर्ता

गवाहान

1. एस.के. बंसल पुत्रश्री आर.डी. बंसल
   निवासी ए.453 वैशाली नगर जयपुर

सूरज यादव

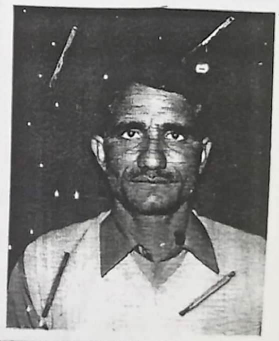

2. सुरज यादव S/o शंकरलाल यादव
   नि. ग्राम नांगल तुलसीदास
   तह. जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादक निष्पादन करता हूं कि (1) का एस. के. बंसल
पुत्र आर. डी. बंसल जाति ....
व्यवसाय .... निवासी A-453 वैशाली नगर जयपुर
व (2) सुरज प्र. ३५ पुत्र श्री [illegible] लाल
जाति [illegible] निवासी [illegible]
से पहचान कर स्वीकार किया। जिन्हें उप पंजीयक नीम का थाना स्वयं नहीं जानते हैं।

अंगूठा निशानी नियमानुसार लिये गये।

उप पंजीयक नीम का थाना

आज दिनांक 20/3/17 पुस्तक सं. 1
खण्ड 370 के पृष्ठ सं. 139 क्रमांक 836
पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक
सं. 1 / जिल्द सं. 366 पृष्ठ सं. 367-3?8
पर चस्पा किया गया

उप पंजीयक नीमकाथाना

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना,
जिला सीकर (राजस्थान)

पट्टा क्रमांकः– 959

दिनांकः 28-2-2014

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2014 के माह फरवरी के 28 (अठाईसवें) वे दिन नगरपालिका नीमकाथाना (जिन्हें इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर (राज0)** (जिनकों इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकित अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज मे नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड(जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पैराफेरी क्षेत्र **(राणासर) राजस्व ग्राम राणासर** के खसरा संख्या 283/2/1 क्षेत्रफल 1500 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 72000/– **अंकेही बहत्तर हजार रू0 मात्र** पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नीमकाथाना

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधिः– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिर्वतन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगरनिकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होगें।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगीः परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरित/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेखविधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड की सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच. डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : नीमकाथाना
राजस्व ग्राम : राणासर
खसरा संख्या : 283/2/1
योजना का नाम : पैराफेरी क्षेत्र (राणासर)
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 1500
(एक हजार पांच सौ वर्गगज)
इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

पूर्व संलग्न नक्शे पश्चिम संलग्न नक्शे उत्तर ~~संलग्न~~ नक्शे अनुसार दक्षिण संलग्न नक्शे अनुसार के अनुसार मानचित्र संलग्न है।

नगरपालिका की ओर से

आज सन् 2014 के माह फरवरी के 28 वें दिन श्री केशवदेव मोदी व श्री रविन्द्र सिंह ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:–

अध्यक्ष
नगर पालिका, नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नीमकाथाना

साक्षी :–

1. नाम श्री रोहिताश्व मीणा
पुत्र श्री रामजीलाल मीणा
व्यवसाय वरिष्ठलिपिक, न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

2. नाम श्री जितेन्द्र सिंह जाखड़
पुत्र श्री ताराचन्द जाखड़
व्यवसाय वरिष्ठ लिपिक, न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

आज सन् 2014 के माह फरवरी के 28 वें दिन को निम्नलिखत की उपस्थिति मे उक्त कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर (राज0) लीजधारक द्वारा कार्यालय न0पा0 नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक–द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम S.K. Bansal
पुत्र Lat. Sh. R.D BANSAL
व्यवसाय Rtd Engineer P.W.D (Raj)
निवास स्थान A-453 Vaishali Nagar JPR

साक्षी

2. नाम महिपाल कुल्हरी
पुत्र श्री मनीराम
व्यवसाय नौकरी (अध्यापक)
निवास स्थान कोटड़ी रोड नीमकाथाना

महिपाल

साक्षी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)

शामिल रहे

Scanned with OKEN Scanner

नगरीय निकाय का नाम:— नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर)

(साईट प्लान (केवल 90—ख / क से सम्बन्धित भूखण्डों के नियमन हेतु)

योजना का नाम :— KALYANESWAR MAHADEV TRUS JAIPUR

प्रार्थी का नाम :—SECRETARY . KALYANESWAR MAHADEV TRUST JAIPUR

जिला :— सीकर

भूखण्ड संख्या :—EXTENSION OF COLLEGE BUILDING

भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गगज में) :—1500

पैमाना:— 1 इंच =20 फिट, पट्टा संख्या :— 959

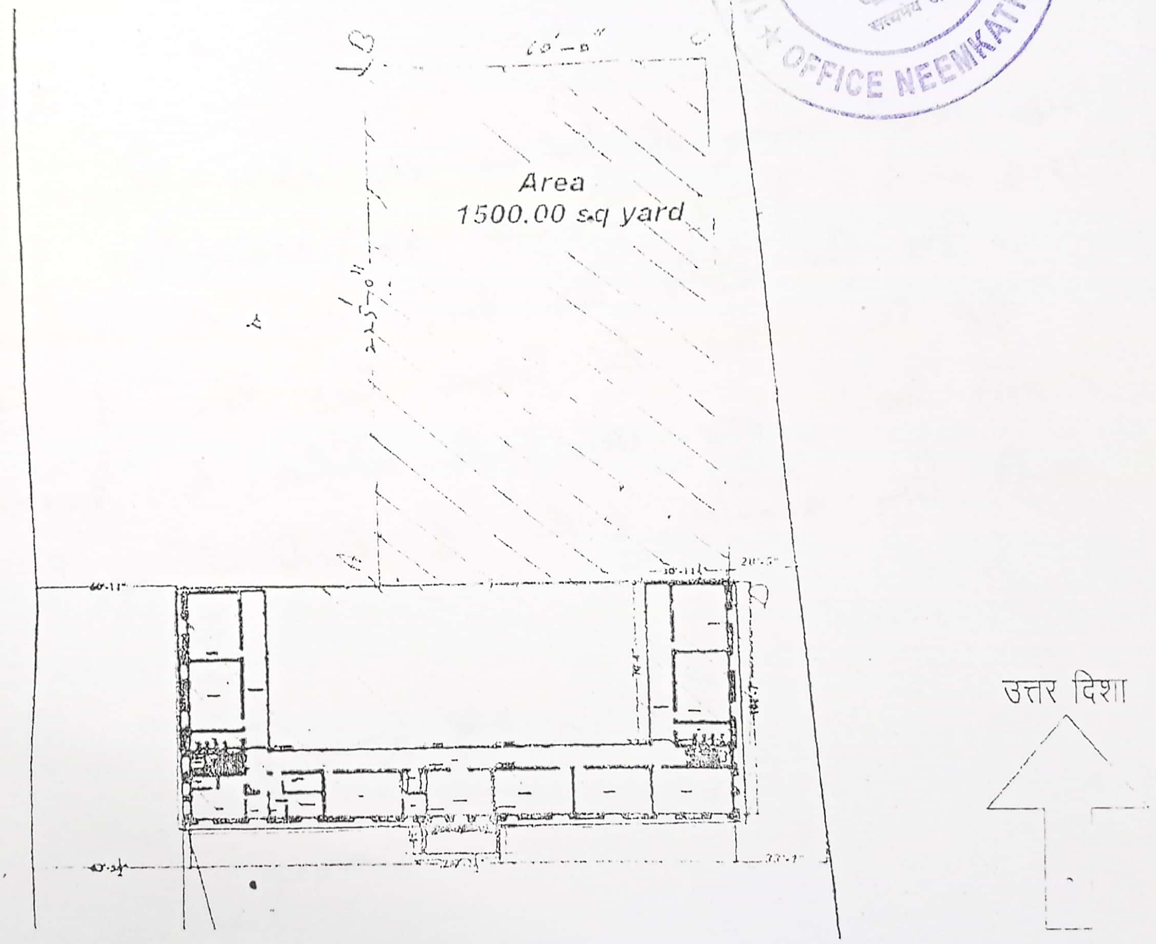

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR OFFICE NEEMKATHANA
सत्यमेव जयते

प्रार्थी के हस्ताक्षर

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नीमकाथाना

अध्यक्ष
नगर पालिका, नीमकाथाना

SANDHYA DESIGN CONSULTANCY PVT. LTD.

शामिल रहे
उप पंजीयक
नीमकाथाना

प्रमाणित प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

448674

उपकोषाधिकारी राजस्थान नीमकाथाना

::श्री::

पट्टा-पंजीयन

स्टाम्प = 15000 X 2 = 30000/-
सरचार्ज 30 प्रतिशत = 9000/-
योग = 39000/-

पट्टा संख्या 1823

दिनांक : 17.09.2020

निष्पादक/पट्टाधारक : **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.मीना** उम्र 42 साल जाति मीना व्यवसाय व्यापार निवासी एम.80, जे.पी. फाटक के पास, महेश नगर, जयपुर (राज.)

Aadhar No.6036-0509-9714, Pan No. AABTK3574A, Mob No. 9785400987

लगातार 2

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक

1234
18/9/2020

कल्मोलेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर जरिये, सचिव विश्राम जेफ ह० के. प्रसा. मीना नि० महेश नगर जयपुर।

15000×2 = 30000/-

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प [illegible] पर [illegible] अधिभार

1. आधारभूत अवसंरचना [illegible] हेतु [illegible]	3000/-
2. गाय और उसकी [illegible] संरक्षण और संवर्धन हेतु [illegible]	6000/-
जयसिंह ला. न. – 28/05 नीमकाथाना	कुल योग 39000/-

[illegible] स्टाम्प वेन्डर
18/9/2020

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

448673

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR NEEM KA THANA

उपकोषाधिकारी राजस्थान नीमकाथाना

||2||

यह पट्टा विलेख वर्ष 2020 के माह सितम्बर के 17 (सतरहवें) दिन नगर पालिका नीमकाथाना प्रथम पक्ष जिन्हे इसके बाद नगर पालिका कहकर सम्बोधित किया गया हैं एवं **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.मीना** जाति मीना व्यवसाय व्यापार निवासी एम.80, जे.पी. फाटक के पास, महेश नगर, जयपुर (राज.) जिनको इसके बाद लीज धारक द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहॉ कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके

लगातार 3

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक

उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकित अलैह भी सम्मिलित होगें, इनके मध्य निष्पादित हुआ है। यह कि योजना **पैराफेरी क्षेत्र** राजस्व ग्राम **राणासर** के **खसरा संख्या 1072/555** में स्थित हैं। जिसका पट्टा **संस्थानिक (शैक्षणिक)** उपयोग हेतू **पट्टा संख्या 1823** जारी किया गया

लगातार 4

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR SIKAR NEEM KA THANA

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 18 माह 09 सन् 2020 को 02:05 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KLYANESHWAR MHADEV TRUST JAIPUR THROU SACHIV VISHAL JEPH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री K.L. MEENA
उम्र 42 वर्ष, जाति MEENA , व्यवसाय Business
निवासी House No.:na, Colony: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, Area: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001274002719

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002274001995
दिनांक	18-09-2020
पंजीयन शुल्क ₹	5365
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	32186
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	9656
कुल योग	47507

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with OKEN Scanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री KLYANESHWAR MHADEV TRUST JAIPUR THROU SACHIV VISHAL JEPH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री K.L. MEENA, व्यवसाय Businessजाति MEENA House No.:na, Colony: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, Area: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 42 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 536420/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 536420/- पूर्व में ------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KRISHAN GOPAL SAINI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MALIRAM SAINI जाति MALI Age: 53 Add: House No.:na, Colony: BAGOLI TEHSIL UDAIPURWATI, Area: BAGOLI TEHSIL UDAIPURWATI, City: UDAIPURWATI, Pin code: 333801, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KAMLESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PURANMAL जाति MALI Age: 41 Add: House No.:na, Colony: MANPURA TEHSIL NEEM KA THANA, Area: MANPURA TEHSIL NEEM KA THANA, City: NEEM KA THANA, Pin code: 332713, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Scanned with OKEN Scanner

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR
SIKAR
NEEM KA THANA

है। पट्टा भूखण्ड की सीमा व नाप संलग्न नक्शे में अंकित है, उक्त पट्टा भूखण्ड का **कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर** है, जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में पूर्ण रूप से वर्णित है, जिसका आकार विशेष रूप से संलग्न नक्शे में दर्शित हैं जिसे पूर्ण स्वामित्व

लगातार 5

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR SIKAR NEEM KA THANA

संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु तमाम व प्रत्येक प्रकार के अपवादो, संरक्षण, प्रतिबंन्धो, बन्धनो और शर्तो व करारो के अधीन पट्टेदार द्वितीय पक्ष **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.**

लगातार 6

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 3352500 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 32186 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 5365, सरचार्ज राशि 9656 कुल रू 47207 रसीद संख्या 202002274001995 दिनांक 18-09-2020 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 32186 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 18/09/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 487 में
पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 202003274101964 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 632 के
पृष्ठ संख्या 164 से 172 पर चस्पा किया गया।

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Scanned with OKEN Scanner

मीना अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार क्षेत्र में

रखेगा। अतः यह पट्टा वास्ते पंजीयन हेतु निष्पादन है।

दिनांक : 18.09.2020

तैयारकर्ता
(रामगोपाल शर्मा, एडवोकेट, नीमकाथाना)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर गवाहान

1. कृष्ण गोपाल सैनी पुत्र श्री मालीराम सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मु.पो. बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
Mob No. 9785400559, Aadhar No. 8924-4136-3815

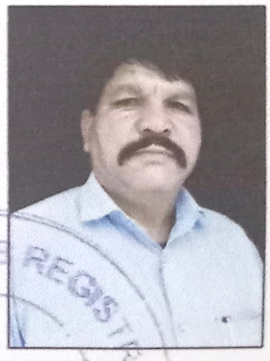

2. कमलेश कुमार पुत्र श्री पूरणमल उम्र 41 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)Mob No. 9460167757 ,Adhar No.6238-8142-5051

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

पट्टा क्रमांकः– 1823
दिनांकः 17/09/2020

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख आज वर्ष **2020** के माह **सितम्बर** के 17वें (सत्रहवें) दिन नगरपालिका नीमकाथाना (जिन्हें इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर, जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल. मीना जाति मीना, व्यवसाय:** व्यापार **एम. 80, जे. पी. फाटक के पास, महेश नगर, जयपुर, (राज.)** (जिनकों इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकित अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज मे नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **पैराफेरी क्षेत्र** राजस्व ग्राम **राणासर** के खसरा संख्या **1072/555 क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **23920/– तेबीस हजार नौ सौ बीस रू0 मात्र** पेंशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधिः– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **संस्थानिक (शैक्षणिक)** योजना, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगरनिकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होगें।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगीः परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरित/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेखविधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में

Scanned with OKEN Scanner

निहित समझे जायेंगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10 इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड की सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11 भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नहीं किया गया है, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है।

SUB REGISTRAR ... SIKAR ... NEEM KA THANA

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : **नीमकाथाना**
राजस्व ग्राम : **राणासर**
खसरा संख्या : **1072/555**
योजना का नाम : **पैराफेरी क्षेत्र**

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग मीटर/मीटर **2500 (पच्चीस सौ वर्गमीटर)**
इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने –अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

पूर्व संलग्न नक्शे पश्चिम संलग्न नक्शे उत्तर संलग्न नक्शे अनुसार दक्षिण संलग्न नक्शे के अनुसार भूखण्ड संख्या संलग्न नक्शे अनुसार है। मानचित्र संलग्न है।

नगरपालिका की ओर से

आज सन् 2020 के माह सितम्बर के 17 वें दिन श्री सरीता दीवान व श्री सूर्यकांत शर्मा ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:–

Sarita Diwan

अध्यक्ष
नगर पालिका नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी :–

1. नाम श्री अभिषेक सैनी
पुत्र श्री रतनलाल सैनी
व्यवसाय कनिष्ठ लिपिक, न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

2. नाम श्री दिनेश कुमार सैनी
पुत्र श्री स्व. श्री भगवान सहाय सैनी
व्यवसाय कनिष्ठ लिपिक न0पा0 नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

आज सन् 2020 के माह सितम्बर के 17 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति मे उक्त वं **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर, जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल. मीना** लीजधारक द्वारा कार्यालय न0पा0 नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक–द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम कृष्ण गोपाल पुत्र मालीराम सैनी
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान मु॰पो॰ बाडोली – उदयपुरवाटी

साक्षी

2. नाम रतनलाल स्वामी पुत्र सुल्तान
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान वार्ड नं॰ 2 उदयपुरवाटी

साक्षी

शामिल

Scanned with OKEN Scanner

EXISTING SECOND FLOOR PLAN OF SMT. RAM PYARI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA , AT KH.NO.- 555/1 , VILL.-NAYABAS , TEH. NEEMKATHNA , DIST. NEEMKATHNA (RAJ.)

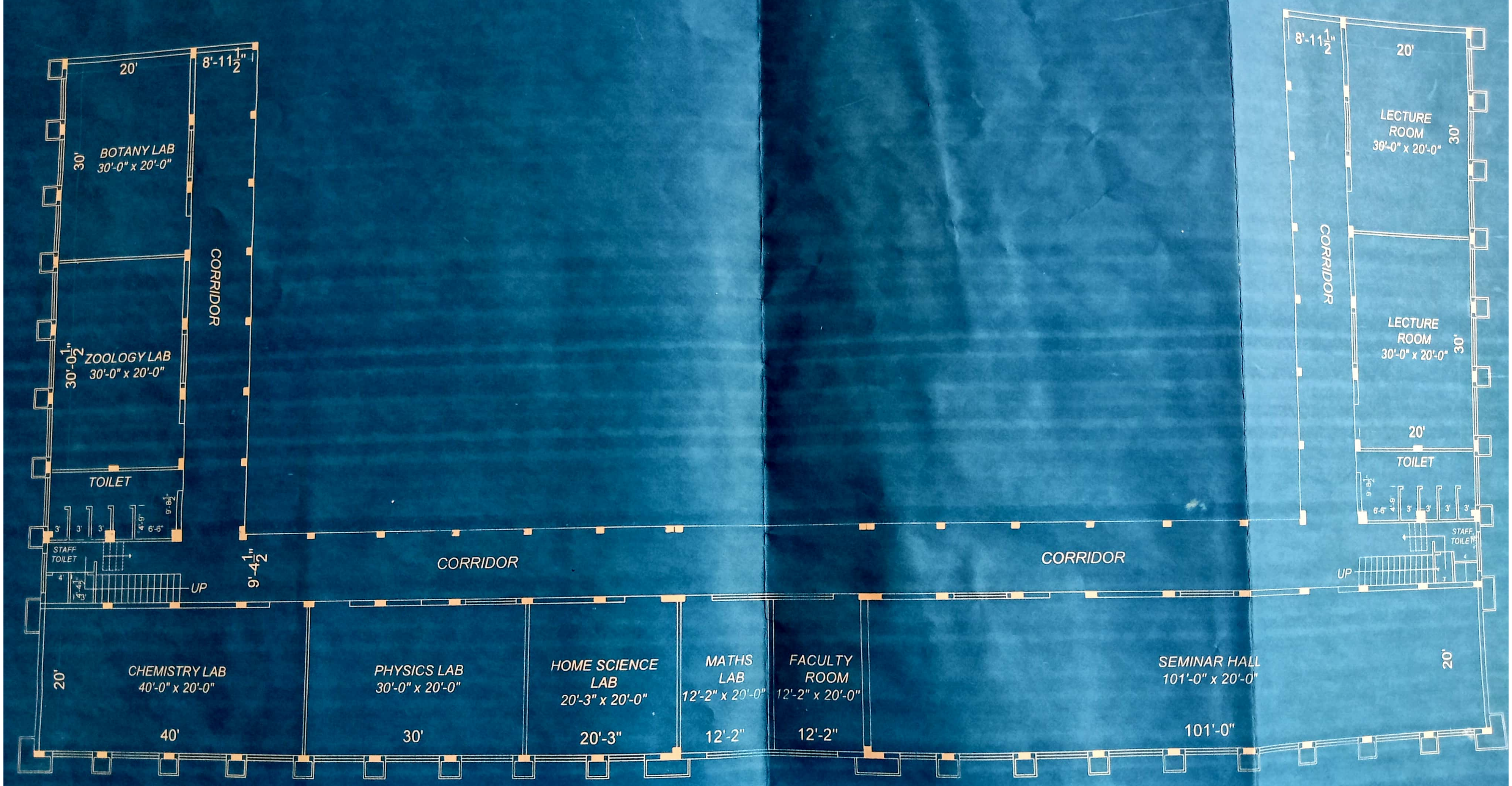

SECOND FLOOR PLAN

CONSTRUCTED AREA OF SECOND FLOOR :-
10892.97 SQ.FT.
OR 1210.33 SQ.YARD
OR 1012.35 SQ.MTR.

T.BY

...TURE OF APPLICANT

EXISTING FIRST FLOOR PLAN OF SMT. RAM PYARI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA , AT KH.NO.- 555/1 , VILL.-NAYABAS , TEH. NEEMKATHNA , DIST. NEEMKATHNA (RAJ.)

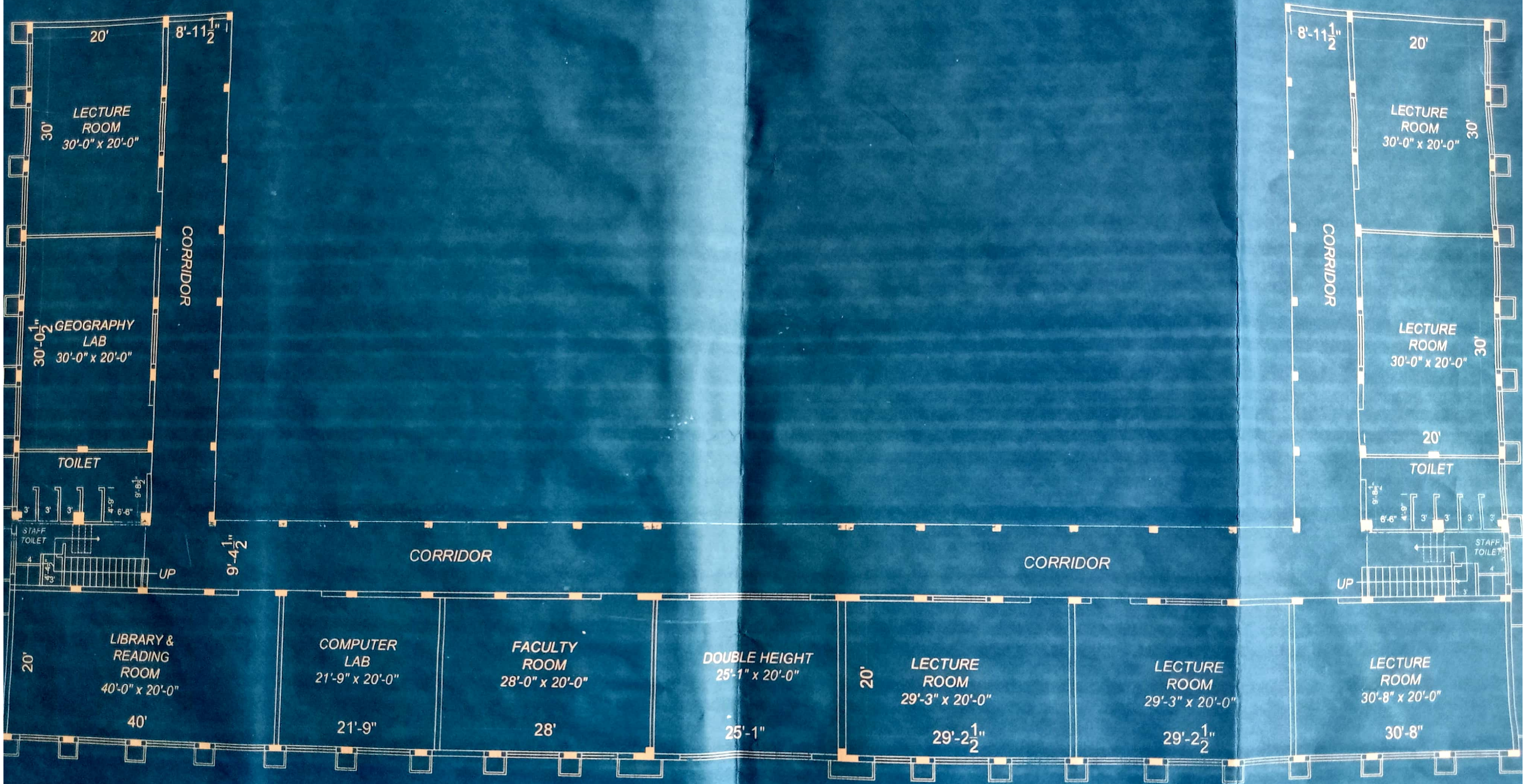

FIRST FLOOR PLAN

CONSTRUCTED AREA OF FIRST FLOOR :-
10892.97 SQ.FT.
OR 1210.33 SQ.YARD
OR 1012.35 SQ MTR

T.BY

Marwa... Morden B...
Chhawani
Neem Ka Thana (Si...

...E OF APPLICANT

Scanned with OKEN Scanner

EXISTING GROUND FLOOR PLAN OF SMT. RAM PYARI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA , AT KH.NO.- 555/1 , VILL.-NAYABA , TEH. NEEMKATHNA , DIST
NEEMKATHNA (RAJ.)

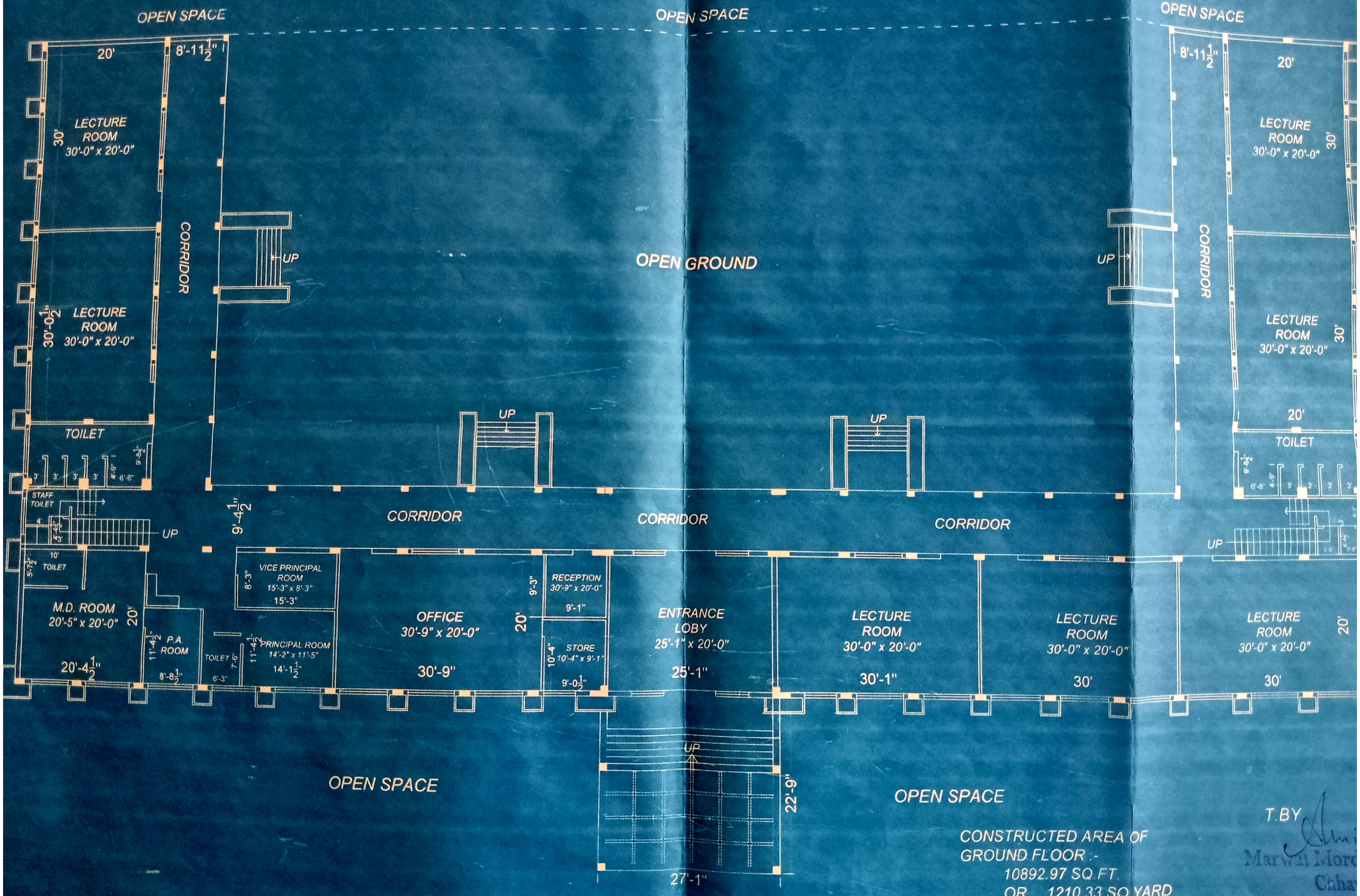

URE OF APPLICANT

GROUND FLOOR PLAN

Scanned with OKEN Scanner